संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ
Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Med. Sciences,
Raibareli Road, Lucknow- 226 014 (U.P.), INDIA
आत्मना सर्वो जित Phones: 0522-2668004-8,2668700-800-900 Fax: 91-0522- 2668017,2668078

पत्र सं0 पी0जी0आई0/आर0एस0डी0सं0 1274/जेड/चि0अ0/अधि0/355/2025 दिनांक 03/2/2025

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश सं0 पी0जी0आई0/अधि0/3387/1463/2012 दिनांक 13 सितम्बर,2012 के द्वारा संस्थान के अभियन्त्रण एवं अन्य विभागों में कार्यरत कर्मियों के वर्दी के संबंध में आवश्यक आदेश निर्गत किए गये थे। (आदेश की प्रति संलग्न)

प्रायः यह देखा गया है कि संबंधित कर्मियों के द्वारा उक्त आदेश दिनांक 13 सितम्बर, 2012 के द्वारा निर्धारित की गई वर्दी को ड्यूटी अवधि में नहीं पहना जा रहा है जो कि अनुचित एवं अनुशाषनहीनता का प्रतीक है।

अतः उक्त के संबंध में संबंधित समस्त कर्मियों को निदेर्शित किया जाता है कि वह आदेश दिनांक 13 सितम्बर, 2012 द्वारा निर्धारित की गई वर्दी को पहनकर ड्यूटी पर उपस्थिति होना सुनिश्चित करें।

उक्त आदेश का कडाई से अनुपालन किया जाना सुनिशिचित किया जाए।

संलग्नकःउपरोक्तानुसार।

(प्रो0 संजय धिराज)
मुख्य चिकित्सा अधीक्षक।

प्रतिलिपिः–
1– निदेशक महोदय के सूचनार्थ।
2– अपर निदेशक।
3– संकायाध्यक्ष।
4– समस्त विभागाध्यक्ष।
5– वित्त अधिकारी।
6– विभागाध्यक्ष– बायोस्टेट एवं इनफारमेटिक्स को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त परिपत्र को संस्थान की वेबसाईट पर संबंधित कर्मियों के अवलोकन/अनुपालनार्थ अपलोड करवाने का कष्ट करें।
7– संयुक्त निदेशक (सा0प्र0)
8– संयुक्त निदेशक (प्र0)
9– मुख्य नर्सिग आफीसर।
10–समस्त सिस्टर इन्चार्ज।
11– समस्त संबंधित कर्मचारी।त्र
12– संबंधित पत्रावली।

(प्रो0 संजय धिराज)
मुख्य चिकित्सा अधीक्षक।

संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।

Sanjay Gandhi Post Graduate Institute Of Medical Sciences

RAEBARELI ROAD, LUCKNOW-226014 (INDIA)

Phone (0522)-2668700, 2668800, 2668900 Fax-(0522)- 2668017, 2668129

13557
3/11/12

पी0जी0आई0 / अधि0 / 3887 / 463 / 2012 दिनांक 13 सितम्बर, 2012

कार्यालय आदेश

संस्थान के अभियन्त्रण एवं अन्य विभागों में कार्यरत वर्दी के पात्र कर्मचारियों को वर्दी एवं अन्य सुविधाएं यथा–जूता, चप्पल, जर्सी, सिलाई एवं धुलाई भत्ता आदि के सम्बन्ध में विचारोपरान्त संस्तुतियाँ दिये जाने हेतु कार्यालय आदेश संख्याः पी0जी0आई0 / अधि0 / आर0एस0डी0–3887 / एफ 66 / 2326 / 2011 दिनांक 02 सितम्बर, 2011 के कम में निर्गत कार्यालय आदेश संख्याः पी0जी0आई0 / अधि0 / 3887 / 354 / 2012 दिनांक 11 अगस्त, 2012 द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। उपरोक्त समिति द्वारा दिनांक 17–08–2012 को सम्पन्न बैठक में विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों हेतु ये सुविधाएं अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में संस्तुतियाँ निदेशक के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गयीं जिन पर प्रदत्त अनुमोदन के प्रकाश में संस्थान के अधोवर्णित कर्मचारियों को नीचे दी गयी व्यवस्था के अनुसार सुविधायें अनुमन्य कराने के आदेश पारित किये जाते हैं:–

श्रेणी / पद	गर्मी की वर्दी	जाड़े की वर्दी	अन्य सुविधायें
चीफ इलेक्ट्रीशियन, सीनियर इलक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन ग्रेड–I, सीनियर आपरेटर, आपरेटर ग्रेड–I एवं ग्रेड–II, सीनियर लिफ्टमैन, लिफ्टमैन ग्रेड–1, सीनियर हेल्पर, सीनियर ट्रेड्समैन, ट्रेड्समैन ग्रेड–I एवं ग्रेड–II	–टेरीकाट रंगीन कपड़ा 5.30 मीटर दो सेट दो वर्ष के लिए।	–ऊनी रंगीन कपड़ा कोट पैन्ट 2.75 मीटर एक सेट दो वर्ष के लिए। –दो जर्सी तीन वर्ष में।	–1 पेयर लेदर जूता दो वर्ष में। –1 पेयर लेदर चप्पल प्रत्येक वर्ष। –मोजे दो पेयर तीन वर्ष में।
सीनियर अटेण्डेण्ट, अटेण्डेण्ट ग्रेड–I एवं ग्रेड–II, सीनियर माली, माली ग्रेड–I एवं ग्रेड–II	–टेरीकाट कपड़ा सफेद 5.30 मीटर दो सेट दो वर्ष के लिए। (महिला कर्मियों के लिए दो साड़ी एवं ब्लाउज)	–ऊनी रंगीन कपड़ा कोट पैन्ट 2.75 मीटर एक सेट दो वर्ष के लिए। –दो जर्सी तीन वर्ष में। (महिला कर्मियों के लिए दो रंगीन जर्सी तीन वर्ष में)	–1 पेयर लेदर जूता दो वर्ष में। –1 पेयर लेदर चप्पल प्रत्येक वर्ष। –2 पेयर मोजे तीन वर्ष में। (महिला कर्मियों के लिए 1 पेयर लेडीज लेदर चप्पल प्रत्येक वर्ष, 1 पेयर लेदर लेडीज जूते दो वर्ष में एवं 2 पेयर मोजे तीन वर्ष में।)
ट्रान्सपोर्ट सुपरवाइजर, ड्राइवर ग्रेड–I एवं ग्रेड–II, क्लीनर	–टेरीकाट कपड़ा सफेद 5.30 मीटर दो सेट दो वर्ष के लिए।	–ऊनी रंगीन कपड़ा कोट पैन्ट 2.75 मीटर एक सेट दो वर्ष के लिए। –दो जर्सी तीन वर्ष में।	–1 पेयर लेदर जूता दो वर्ष में। –1 पेयर लेदर चप्पल प्रत्येक वर्ष। –2 पेयर मोजे तीन वर्ष में।

8041
05/11/12

Please put-up the P-2 (57) containing to our establishment

CMS
3/11/12

56 545

हास्पिटल अटेण्डेण्ट ग्रेड—I, ग्रेड—II एवं ग्रेड—III, हेड कुक, बियरर मसालची	—टेरीकाट कपड़ा सफेद 5.30 मीटर दो सेट दो वर्ष के लिए। (महिला कर्मियों के लिए दो साड़ी एवं ब्लाउज।)	—ऊनी रंगीन कपड़ा कोट पैन्ट 2.75 मीटर एक सेट दो वर्ष के लिए। —दो जर्सी तीन वर्ष में। (महिला कर्मियों के लिए दो रंगीन जर्सी तीन वर्ष में)	—1 पेयर लेदर जूता दो वर्ष में। —1 पेयर लेदर चप्पल प्रत्येक वर्ष। —मोजे दो पेयर तीन वर्ष में। (महिला कर्मियों के लिए 1 पेयर लेदर लेडीज चप्पल प्रत्येक वर्ष, 1 पेयर लेदर लेडीज जूते दो वर्ष में एवं 2 पेयर मोजे तीन वर्ष में।)

उपर्युक्त के अतिरिक्त यह भी आदेश पारित किये जाते हैं कि अभियन्त्रण विभाग के कर्मचारियों को प्रदान की जाने वाली वर्दी में शर्ट एवं पैन्ट का रंग क्रमशः लाईट ग्रे एवं डार्क ग्रे तथा जर्सी का रंग नेवी ब्लू रहेगा तथा संस्थान के अन्य कर्मचारियों की वर्दी का रंग पूर्ववत ही रहेगा।

साथ ही यह भी आदेश पारित किये जाते हैं कि प्रत्येक वर्ष सम्बन्धित अधिष्ठान द्वारा वर्दी के पात्र कर्मचारियों के पी—2 / सूची संयुक्त निदेशक सामग्री प्रबन्धन को समय से प्रेषित किये जायेंगे।

वर्दी एवं वर्दी भत्ता अनुमन्य कराये जाने विषयक समय—समय पर निर्गत आदेशानुसार वे कर्मचारी प्रत्येक दशा में वर्दी पहन कर अपने कार्यपटल पर उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे जिन्हें वर्दी अनुमन्य कराई जा रही है तथा यदि इस सम्बन्ध में किसी विभागाध्यक्ष / अनुभाग प्रभारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि कर्मचारी विशेष वर्दी पहनकर नहीं आ रहे हैं तो वर्दी / वर्दी भत्ता बन्द करने के आदेश तदानुसार पारित किए जायेंगे।

(भरत सिंह)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— निदेशक महोदय के सूचनार्थ।
2— वित्त अधिकारी, पी0जी0आई0।
3— संयुक्त निदेशक, सामग्री प्रबन्धन, पी0जी0आई0।
4— मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, पी0जी0आई0।
5— सम्बन्धित पत्रावली।

(भरत सिंह)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

12/09/12